

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा  
कार्यसूची  
छठा सत्र

बुधवार, 6 अगस्त, 2014 /15 श्रावण, 1936 (शक्)  
11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. शोकोद्गार:

- (1) सर्वश्री नगीन चन्द्र पाल, नन्द कुमार चौहान, कुन्ज लाल ठाकुर, चेत राम नेगी, पं0 गौरी प्रसाद, तथा श्री मेहर सिंह चौहान, पूर्व सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर शोकोद्गार।

2. प्रश्नोत्तर:

- (1) **तारांकित :** (पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे )

(i) स्थगित

(ii) दिन के लिए

- (2) **अतारांकित :** ( पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे )

(i) स्थगित

(ii) दिन के लिए

3. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य :

- (1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** बुधवार, 6 अगस्त, 2014 से प्रारम्भ हो रहे वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे ।

4. विधेयक सभा पटल पर रखे जाएंगे :

- (1) **सचिव,** विधान सभा, निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे, जिन्हें सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदया की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है:-

(i) हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 7);

- (ii) हिमाचल प्रदेश गृह-रक्षक दल (संशोधन) विधेयक, 2013 (2014 का अधिनियम संख्यांक 8);
- (iii) हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (2014 का अधिनियम संख्यांक 9);
- (iv) हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्योगिकी और वानिकी विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2013 (2014 का अधिनियम संख्यांक 10);
- (v) हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 11);
- (vi) हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 12); और
- (vii) हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 13)।

## 5. अध्यादेश :

- (1) **श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री**, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 11.7.2014 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश संख्यांक 1) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखेंगे।
- (2) **श्री अनिल शर्मा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री**, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 10.7.2014 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश संख्यांक 2) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखेंगे।

शिमला-171004

दिनांक: 05 अगस्त 2014 02:50 PM

सुन्दर सिंह वर्मा ,  
सचिव।

\*\*\*\*\*

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो,की भी जांच कर लें)